रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1976 (ज्येष्ठ 8, 1898)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1976 (JYAISTHA 8, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 21 अप्रैल 1976 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 21st April 1976 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
76.	सं० 29-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 14 अप्रैल, 1976 No. 29-ITC(PN)/76, dated the 14th April, 1976	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	अप्रैल, 1976—मार्च, 1977 वर्ष के लिए आयात नीति। Import Policy for the year April 1976—March 1977.
77.	सं० 30-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 14 अप्रैल, 1976 No. 30-ITC(PN)/76, dated the 14th April, 1976	तदैव Do.	आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तिका, 1976-77। Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedures, 1976-77.
78.	सं० 12-ई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 15 अप्रैल, 1976 No. 12-ETC(PN)/76, dated the 15th April 1976	तदैव Do.	कोटा वर्ष 1 अक्तूबर, 1975 से 30 सितम्बर, 1976 तक के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत तैयार कोषकों तथा वस्तुओं और "भारतीय मदों" सहित भारतीय सूती हथकर्घा वस्त्रों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के लिए योजना। Scheme for exports under O.G.L. 3 of Indian Cotton handloom textiles including ready-made garments and made-ups and 'India Items' for export to the U.S.A. during the Quota year 1st October 1975 to 30th September 1976.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
79.	सं० 25(30)/75-सी० एण्ड एस०, दिनांक 17 अप्रैल 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	कयर उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उच्च-स्तरीय अध्ययन दल का गठन करना।
	No.25(30)/75-C&S, dated the 17th April 1976	Ministry of Industry & Civil Supplies	Setting up of a High-Level Study Team to study the problems of Coir Industry.
80.	सं० 13-ई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 17 अप्रैल, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	विभिन्न प्रकारों, वर्गों एवं गुणों के अभ्रक की एफ० ए० एस०/एफ० ओ० बी० कीमतों एवं उनके निर्यात को सम्बन्ध में लागू होने वाली अन्य शर्तों को प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूचियां।
	No 13-ETC(PN)/76, dated the 17th April 1976	Ministry of Commerce	Price Schedules showing F.A.S./ F.O.B. prices of different varieties, grades and qualities of Mica and other conditions applicable to their export.
81.	सं० 31-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 21 अप्रैल, 1976	तदैव	अप्रैल, 1976–मार्च, 1977 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (शुद्धि पत्र सं० 1)।
	No. 31-ITC(PN)/76, dated the 21st April 1976	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the period April 1976—March 1977 (Errata No. 1)
	सं० 32-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 21 अप्रैल, 1976	तदैव	आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक 1976-77 (शुद्धि पत्र संख्या 1)।
	No. 32-ITC(PN)/76, dated the 21st April 1976	Do.	Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1976—77 (Errata No. 1).

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 417

भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 811

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 697

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . —

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . 1403

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 1787

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश 165

भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 4481

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 469

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 33

भाग III—खंड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . . 1481

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 83

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 417

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 811

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 697

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1403

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1787

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 165

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 4481

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 469

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 33

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1481

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 83

भाग I—खंड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1976

सं० 40-प्रेज/76—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को वीरता के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री धर्म पाल, सुपुत्र श्री मंगल सेन,
मकान नं० 1378, गली नं० 3,
त्रि नगर, दिल्ली-33।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—26 जनवरी, 1973)

26 जनवरी, 1973 को श्री धर्म पाल अपने एक रिश्तेदार, श्री मुंशी राम के साथ गणतंत्र दिवस परेड देख कर त्रि नगर वापस जा रहे थे। वे एक बस पर सवार हुए जो ठसाठस भरी हुई थी। श्री मुंशी राम पहले बस में चढ़े, जब श्री धर्मपाल बस में चढ़ रहे थे तो श्री मुन्शी राम ने महसूस किया कि कोई व्यक्ति उनके गले से सोने की जंजीर खींच रहा है। श्री धर्म पाल बीच में आए और उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी के साथ दो और व्यक्ति भी थे, जिन्होंने श्री धर्मपाल पर हमला कर दिया। कोई भी बस यात्री इनकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। गुत्थम-गुत्था में अपराधी ने एक छुरा निकाला और श्री धर्मपाल का दाहिना हाथ काट दिया, जिससे वह अपराधी को पकड़े हुए थे। इसके बाद अपराधी भाग खड़े हुए। यद्यपि श्री धर्म पाल का दाहिना हाथ कट चुका था और उससे भारी खून बह रहा था, तो भी उन्होंने अपराधियों का पीछा किया लेकिन वे सभी शीघ्र ही साथ की गलियों में जा छुपे। बाद में तीनों अपराधी पकड़े गए और उन्हें सजा मिली।

इस प्रकार श्री धर्मपाल ने अद्वितीय साहस और दृढ़ता का परिचय दिया।

2. 7997519 पायनियर घम राम,
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—1 दिसम्बर, 1973)

पहली दिसम्बर, 1973 को पायनियर घम राम को नकदी ले जाने वाली एक गाड़ी के अनुरक्षण दल के सदस्य के रूप में तैनात किया गया था। जब गाड़ी लुंगलेह खजाने से सीमा सड़क कृत्तिक दल के मुख्यालय की ओर जा रही थी तो रास्ते में घात लगाए बैठे विरोधियों ने उस पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में दल का अफसर-इन-चार्ज और एक राइफलमैन मारा गया और कुछ अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। अपने जीवन को खतरे में देखते हुए भी पायनियर घम राम ने तत्काल विरोधियों का सामना किया। इनकी इस कार्रवाई से दल के अन्य सदस्यों का हौसला बढ़ा और उन्होंने भी तुरन्त विरोधियों पर जवाबी गोलाबारी शुरू कर दी। पायनियर घम राम की इस तत्कालिक और साहसिक कार्रवाई से अनुरक्षण दल ने नकदी को विरोधियों के हाथों में जाने से बचा लिया।

इस कार्रवाई में पायनियर घम राम ने अदम्य साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि की सूझ-बूझ का परिचय दिया।

3. मेजर अम्बरीश बैनर्जी (आई० सी-28340),
महार।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—2 अप्रैल, 1974)

1-2 अप्रैल, 1974 की रात्रि को, मेजर अम्बरीश बैनर्जी को विरोधियों के छुपाव स्थान पर छापा मारने का आदेश मिला। उस स्थान तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन था। इन्हें घोर अंधेरे में ढालू चट्टान और फिसलन मार्ग से होकर जाना था। इनकी टुकड़ी बड़ी चतुराई से चुपचाप उस छुपाव-स्थान तक पहुंची लेकिन जैसे ही वे उस स्थान के निकट पहुंचे, छिपे विरोधियों को कुछ शक हुआ और एक विरोधी को गोली चलाने के लिए बन्दूक उठाते हुए भी देखा गया। इससे पहले कि वह गोली चला पाता, मेजर बैनर्जी उसके ऊपर जा कूदे और उसे निहत्था कर दिया। इस मुठभेड़ में विरोधियों के एक स्वकथित सार्जेंट और एक अफसर पकड़े गये।

एक और अवसर पर जब विरोधियों के कैम्प पर छापा मारा जा रहा था, तो घात लगाए बैठे विरोधियों ने मेजर बैनर्जी और इनकी टुकड़ी पर भारी गोली-बारी कर दी। गोली-बारी और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए मेजर बैनर्जी अपने स्थान से कद कर बड़ी तेजी से विरोधियों पर टूट पड़े और अपने साथियों की जान बचा ली। बाद की दो अलग-अलग घटनाओं के दौरान इन्होंने गांव में छिपे हुए एक कुख्यात विरोधी नेता और विरोधी संगठन के अनेक सदस्यों को पकड़ा।

इस प्रकार मेजर अम्बरीश बैनर्जी ने अदम्य साहस, पहल-शक्ति और उच्च कोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

4. जी/26075 ओ० ई० एम० बीर सिंह, (मरणोपरांत)
(जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—27 मई, 1974)

जी/26075 एक्सकवेटिंग मशीनरी आपरेटर, बीर सिंह को चौकीबाल-तंगधार सड़क पर एक चट्टान को काटने का काम सौंपा

गया था। 27 मई, 1974 को जब वे डोज़र चला रहे थे तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस चिन्ताजनक स्थिति में भी उन्होंने डोजर की न्यूट्रल गियर पर लाने की जी तोड़ कोशिश की और अन्त में उसे घाटी में गिरने से बचा लिया। दिल का दौरा इतना तीव्र था कि वे अपनी सीट से बाहर भी नहीं आ सके और डोज़र पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार ओ० ई० एम० बीर सिंह ने बृहत्ता और उच्च कोटि की कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

5. 1447602 सैपर भोला प्रसाद सिंह, (मरणोपरांत)
इंजीनियर्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—22 सितम्बर, 1974)

सितम्बर 1974 में समस्तीपुर जिले में सिंचाई के लिए बनाए गए बांधों में बाढ़ के पानी के कारण दरारें पड़ गई थीं। एक इंजीनियर रेजिमेंट को तत्काल एक कृत्तिक दल समस्तीपुर भेजने का आदेश दिया गया। 22 सितम्बर, 1974 को प्रातः अग्रिम दल समस्तीपुर से 6 नावों के साथ बारिसनगर जाने के लिए बूढ़ी गंडक नदी के किनारे-किनारे चल पड़ा। सैपर भोला प्रसाद सिंह सबसे अगली नाव के कप्तान थे। उन्होंने अपने आगे एक क्षतिग्रस्त खम्बे से बिजली की एक लटकती हुई तार देखी जिसमें विद्युत-प्रवाह मौजूद था और उस तार का कुछ भाग पानी के अन्दर डूबा हुआ था। तेज़ धारा के कारण इतनी थोड़ी सी जगह में पूरी तरह भरी हुई नाव को मोड़ना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से नाव के उलटने का खतरा था। इस खतरे को देखते हुए उन्होंने अपने पीछे आती हुई नावों में बैठे लोगों को आवाज लगाई और उन्हें खतरे से सचेत किया। इन नावों में कई जिलाधिकारी थे। ये नावें काफी पीछे होने के कारण सुरक्षित मुड़ गईं। सैपर भोला प्रसाद सिंह की नाव बिजली की तार से कुछ ही गज़ दूर थी। वे जानते थे कि उनकी नाव शीघ्र ही बिजली की तार से जा टकरायेगी और उसके कर्मीदल के सारे सदस्य बिजली के झटके के शिकार हो जाएंगे। उन्होंने एक चप्पू उठाया और भली भांति जानते हुए भी कि वे अपनी जान पर खेल रहे हैं, उस चप्पू से तार को ऊंचा उठा लिया, जिससे कि नाव उसके नीचे से गुज़र जाए। नाव तो किसी तरह बिना तार से लगे गुज़र गई लेकिन तेज़ गति के कारण चप्पू फिसल गया और तार सीधी उन से जा टकरायी। बिजली के झटके से वे नाव से बाहर जा गिरे और वहां उनकी मृत्यु हो गई।

सैपर भोला प्रसाद सिंह ने अदम्य साहस, पहल शक्ति और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

6. 13904743 सिपाही/कुक हरीहर सरन,
आर्मी मेडिकल कोर। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—29 सितम्बर, 1974)

29 सितम्बर, 1974 को सिपाही/कुक (एच) हरीहर सरन जब एक जनरल अस्पताल में काम कर रहे थे तो उन्होंने अचानक आग के खतरे की घंटी सुनी। वे तुरन्त रसोई घर से बाहर निकले और देखा कि गैस प्लांट में आग लगी हुई है। उन्होंने भांप लिया कि आग गैस प्लांट से सारे अस्पताल में फैल सकती है। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे जलते हुए गैस-प्लांट वाले कमरे में घुस गए और सप्लाई पाईप का मुख्य वाल्व बन्द कर दिया। ऐसा करते हुए जल जाने से उनके शरीर पर कई घाव हो गए जिनसे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी निर्भीक और तात्कालिक कार्रवाई से अस्पताल तथा अनेक मरीज़ बच गए।

सिपाही/कुक हरीहर सरन ने अदम्य साहस, पहल शक्ति तथा उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

7. सैकेन्ड लैफ्टिनेन्ट अकोइजम दीनामणि सिंह (एस० एस०-26831) (मरणोपरांत)
सिख लाइट इन्फैन्ट्री।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—7 अक्तूबर, 1974)

7-8 अक्तूबर, 1974 को इन्फैन्ट्री बटालियन के सैकेन्ड लैफ्टिनेन्ट अकोइजम दीनामणि सिंह वार्षिक छुट्टी पर असम मेल से अपने घर इम्फाल जा रहे थे। उनके डिब्बे में दो और यात्री भी सफर कर रहे थे। 8 अक्तूबर, 1974 को लगभग 0520 बजे प्रातः बिहार के खरुपुर और फतूजा के बीच उन्होंने अपनी बोगी के बगलवाले डिब्बे से सहायता के लिए किसी की चीख सुनी। वे तेज़ी से गलियारे में निकले और सामने देखा कि एक आदमी खून से सना चाकू हाथ में लिए उस डिब्बे से बाहर भाग रहा था, जहां से चीख आई थी। उन्होंने तुरन्त भांप लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बाद में पता चला कि उस डिब्बे में एक यात्री का खून कर दिया गया था। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना वे हत्यारे पर झपटे जिसने उन पर छुरा तान लिया। इस गुत्थमगुत्थी में वे बोगी के दरवाजे तक पहुंच गए जो खुला था और दोनों ही चलती गाड़ी से बाहर गिर पड़े। सैकेन्ड लैफ्टिनेन्ट अकोइजम दीनामणि सिंह का घटनास्थल पर ही देहांत हो गया। अभियुक्त जख्मी होकर बेहोश हो गया।

इस कार्रवाई में, सैकेन्ड लैफ्टिनेन्ट अकोइजम दीनामणि सिंह ने अदम्य साहस, पहल शक्ति और उच्च कोटि की दृढ़निष्ठा का परिचय दिया।

8. कैप्टन नरेन्द्र सिंह अहलावत (आई० सी०-25103),
सेना मैडल, ग्रिनेडियर्स। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 नवम्बर, 1974)

28 नवम्बर, 1974 को इन्फैन्ट्री रेजिमेंट के कैप्टन नरेन्द्र सिंह अहलावत को विरोधियों के विरुद्ध एक कार्रवाई के दौरान दो स्थानों को सम्भालने का काम सौंपा गया था जबकि मुख्य टुकड़ी खोज का काम कर रही थी। कैप्टन अहलावत ने अपना काम पूरा किया और दो स्थानों में से एक की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली जब कि दूसरे स्थान को एक और गैर-कमीशन अफसर देख रहे थे। उस गैर-कमीशन अफसर ने अपने स्थान से 800 गज़ की दूरी पर कुछ विरोधियों को देखा और अपने लाइट मशीन गन ग्रुप को गोली चलाने का आदेश दिया। इससे विरोधी हक्के-बक्के रह गये और वे इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ कैप्टन अहलावत के स्थान की ओर भागे। कैप्टन अहलावत ने विरोधियों को रोकने के लिए तुरन्त कार्रवाई की। इस पर कुछ विरोधी नाले की ओर भागे। कैप्टन अहलावत का दो विरोधियों से आमना-सामना हो गया और उन्होंने उन दोनों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस बीच नाले से एक दूसरे विरोधी ने कैप्टन अहलावत के एक साथी पर गोली चलाई। इस पर कैप्टन अहलावत तुरन्त उस विरोधी से उलझ पड़े लेकिन इसी बीच उनके सीने में एक गोली

आ लगी । यद्यपि वे गम्भीर रूप से घायल हो गए थे फिर भी वे उस विरोधी का सामना करते रहे और अपने दल को भागने वाले विरोधियों का पीछा करने के लिए अनुदेश देते रहे । उन्होंने साथ ही तलाश करने वाली टुकड़ी के कमांडर को भी स्थिति से अवगत करा दिया और फिर चिर निद्रा में सो गए ।

इस कार्रवाई में कैप्टन नरेन्द्र सिंह अहलावत ने वीरता, कर्त्तव्य-निष्ठा और उच्च कोटि के नेतृत्व का परिचय दिया ।

9. 102447 लांस नायक गणेश बहादुर राय
असम राइफल्स । (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 जनवरी, 1975)

लांस नायक गणेश बहादुर राय असम राइफल की उस एक टुकड़ी के अगुआ थे, जिसे 4 जनवरी, 1975 को विरोधियों के एक गिरोह को, मोकोकचुंग जिले में एक स्थान पर रोकने के लिए आदेश दिया गया था । जैसे ही यह दल आगे बढ़ रहा था कि लांस नायक गणेश बहादुर राय का सामना एक गिरोह के साथ हो गया, जो मुश्किल से 50 गज की दूरी पर था । विरोधियों ने दल पर गोली चला दी । अपने जीवन की तनिक भी चिंता किए बिना लांस नायक गणेश बहादुर राय ने भी जवाब में जबरदस्त गोलीबारी की । इस मुठभेड़ में, उनकी दाहिनी भुजा के अगले भाग में गम्भीर चोट आई । इस चोट के बावजूद उन्होंने विरोधियों को उलझाये रखा और एक स्वकथित कैप्टेन को गोली से मार डालने में सफल हुए । इस कार्रवाई से विरोधी हक्के-बक्के रह गये । और इससे लांस नायक राय के साथियों को आड़ लेने और मोर्चाबन्दी करने का समय मिल गया । बाद में चोटों के कारण लांस नायक राय वीरगति को प्राप्त हुए ।

इस कार्रवाई में, लांस नायक गणेश बहादुर राय ने अनुकरणीय साहस, पहल शक्ति और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

10. जी/11218 ओ० ई० एम० आनन्द मणि
(जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 फरवरी, 1975)

4 फरवरी, 1975 को एक्सकेवेटिंग मशीनरी आपरेटर श्री आनन्द मणि को ऐजलतुईपुईबाड़ी सड़क पर पड़े बड़े-बड़े शिलाखण्डों को हटाने का काम सौंपा गया । जब ये मशीन चला रहे थे तो अचानक उन्होंने ऊपर से एक भारी शिलाखण्ड को सीधे अपने डोजर की ओर आते देखा । अपनी जान बचाने के बजाय, ये डोजर की सुरक्षा के लिए वहीं पर ही डटे रहे । उन्होंने शीघ्र ही मशीन को एक सुरक्षित स्थान की ओर मोड़ा, इसी बीच ऊपर से एक शिलाखण्ड इन पर आ गिरा और वे गम्भीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए । इनकी एक टांग और एक हाथ बेकार हो गए ।

इस प्रकार ओ० ई० एम० आनन्द मणि ने अदम्य साहस, सूझ-बूझ और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

11. जी/12306 सुपरिन्टेंडेंट बी/आर ग्रेड 1 मोहन सिंह
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—20 फरवरी, 1975)

20 फरवरी, 1975 को भारी भूस्खलन के कारण जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय मार्ग टूट गया और काफी बड़ी संख्या में यात्री और सामान वाली गाड़ियां वहां फंस गईं । वहां न भोजन की व्यवस्था थी और न रहने के लिए स्थान ही । शिलाखण्डों के लगातार गिरते रहने से सड़क की मरम्मत करना कठिन था । सुपरिन्टेंडेंट मोहन सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए सड़क साफ करने का बीड़ा उठाया और स्वयं डोजर आपरेटर का निदेशन सम्भाला । उन्होंने अपने साथियों को बड़ी तीव्र गति से काम करने के लिए प्रेरित किया । जब सड़क साफ करने का काम चल रहा था तो ऊपर से पत्थरों के गिरने से वे गम्भीर रूप से घायल हो गए । इस पर भी ये डोजर आपरेटर का मार्ग-दर्शन करते रहे और काम पूरा होने पर ही वहां से हटे ।

इस कार्रवाई में, सुपरिन्टेंडेंट मोहन सिंह ने साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

12. स्क्वाड्रन लीडर मंजीत सिंह, सेखों, वीर चक्र, बी० एम० (6756),
उड़ान (पायलट) ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—25 फरवरी, 1975)

25 फरवरी, 1975 को स्क्वाड्रन लीडर मंजीत सिंह सेखों, एक हेलिकोप्टर में रात्रि उड़ान प्रशिक्षण कर रहे थे । उन्हें पश्चिमी क्षेत्र में एक हवाई अड्डे के पश्चिमी भाग में दुर्घटना ग्रस्त एक वायुयान की तलाश का काम सौंपा गया । रात्रि उड़ान का सीमित अनुभव होने के बावजूद, उन्होंने इस मिशन को पूरा करने का बीड़ा उठाया । उन्होंने खोजबीन शुरू की और उस दुर्घटना-ग्रस्त वायुयान का पता लगाकर घटनास्थल के बारे में सूचना दी । पुनः उन्होंने वायुयान में पैट्रोल भर कर उड़ान भरी और पायलट को भी खोज निकाला । अवतरण प्रकाश और रेडियो टेलीफोन का बुद्धिमत्ता से उपयोग करते हुए वे बड़ी कुशलता से धान के एक खेत में उतरे और प्रथम पायलट को बचा कर उसे वापस अड्डे पर ले आए । उन्होंने एक बार और ऐसा ही किया और दूसरे पायलट को भी बचा लाए ।

इस कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मंजीत सिंह सेखों ने अनुकरणीय साहस, कर्त्तव्य-निष्ठा और उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया ।

13. जी० ओ०-767 सहायक इंजीनियर (सिविल) श्री केहर सिंह चीमा,
(जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 फरवरी, 1975)

19 जनवरी, 1975 को भयंकर भूचाल के आने से हिन्दुस्तान तिब्बत रोड के पूह-कौरिक क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ । मौलकर से समुदोह के बीच के मार्ग को ठीक करने का काम सड़क अनुरक्षण प्लाटून के सहायक इंजीनियर (सिविल), श्री केहर सिंह चीमा को सौंपा गया था । बर्फीली हवाओं और शून्य से नीचे के तापमान की परवाह किए बिना और ऊपर पहाड़ी ढलानों से शिलाखंडों के लगातार गिरते रहने के बावजूद सहायक इंजीनियर केहर सिंह चीमा ने अपना काम बहुत खतरनाक और कठिन परिस्थितियों में पूरा किया । इन्होंने डोजर आपरेटरों और अपने अधीनस्थ अन्य व्यक्तियों को बड़ी लगन से अधिक देर तक काम करते रहने

के लिए प्रेरित किया । दिन-रात खड़े-खड़े कार्य संचालन करते हुए इन्होंने अपने व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण पेश किया । यह इन्हीं के प्रयासों का फल था कि सड़क को थोड़े से समय में ही साफ कर दिया गया ।

सहायक इंजीनियर (सिविल) श्री केहर सिंह चीमा ने साहस, कर्त्तव्यनिष्ठा और उच्च कोटि के नेतृत्व का परिचय दिया ।

14. जी/61238 सब ओवरसीयर बद्री दत्त तिवारी,
(जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 फरवरी, 1975)

सड़क अनुरक्षण प्लाटून के सब-ओवरसीयर, बद्री दत्त तिवारी को हिन्दुस्तान-तिब्बत मार्ग के एक भाग के निर्माण और रख-रखाव का काम सौंपा गया था । जनवरी और फरवरी 1975 के दौरान भूचाल के लगातार झटकों के कारण यह सड़क बहुत ही अस्थिर और खतरनाक हो गयी । सब-ओवरसीयर बी० डी० तिवारी को मार्ग साफ करना था और अप्रत्याशित भूस्खलन और शिला-खण्डों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था । उनसे प्रेरणा पाकर उनके साथी भारी हिमपात और लगातार खतरे के बावजूद अधिक लम्बे समय तक काम करते रहे । सभी कठिनाइयों के बावजूद सब-ओवरसीयर बद्री दत्त तिवारी सड़क को यातायात के लिए खुला रखने में सफल हुए । जिससे भूचाल-ग्रस्त क्षेत्र में जन सामान्य और सैनिक स्थापनाओं के लिए आवश्यक वस्तुएं तथा डाक्टरी सहायता पहुंचाना सम्भव हो सका ।

सब-ओवरसीयर बद्री दत्त तिवारी ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व और उच्च-कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

15. जी/39425 ओ० ई० एम० महीन्दर सिंह,
(जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 फरवरी, 1975)

एक्सकेवेटिंग मशीनरी आपरेटर महीन्दर सिंह को हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड पर भूचाल से हुए भारी भूस्खलन को साफ करने के लिए डोज़र आपरेटर नियुक्त किया गया था । उन्होंने जान हथेली पर रखकर भारी हिमपात और शून्य से नीचे के तापमान में निर्भीकता से डोज़र चलाया । कई बार वे भारी शिलाखण्डों और भूस्खलन के बीच फंस गए, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से उन सब को साफ कर दिया । यह उन्हीं की कर्त्तव्यनिष्ठा का ही परिणाम था कि सड़क बहुत जल्दी यातायात के लिए खोल दी गई । इससे भूचाल ग्रस्त क्षेत्र में घिरे लोगों को आवश्यक सामान और डाक्टरी सहायता पहुंचानी सम्भव हो पायी ।

इस प्रकार ओ० ई० एम० महीन्दर सिंह ने अदभ्य व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

16. जी/4081 डी० एम० ई० इकबाल सिंह
जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—1 मार्च, 1975)

1 मार्च, 1975 को ड्राइवर मैकेनिकल इक्विपमेंट, इकबाल सिंह को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क में पड़े मलबे को साफ करने का काम सौंपा गया । सड़क के दोनों तरफ काफी सैनिक और असैनिक कार्मिक फंसे पड़े थे । वहां पर न भोजन की कोई व्यवस्था थी और न ठहरने के लिए जगह ही । सामान ले जाने वाली काफी गाड़ियां भी रुकी पड़ी थीं, अतः सड़क को तुरन्त साफ करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था परन्तु डी० एम० ई० इकबाल सिंह ने लगातार शिलाखण्डों के गिरने से होने वाले खतरे की चिन्ता किए बिना कड़ाके की ठण्ड और खतरनाक स्थिति में दिन-रात अपने डोज़र को चलाया । उन्होंने काम को पूरा किया और सड़क को जल्दी से यातायात के लिए खोलने में सहायक हुए ।

डी० एम० ई० इकबाल सिंह ने अदभ्य साहस, व्यावसायिक निपुणता और उच्च-कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

17. 2547999 कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार रामकृष्ण पिल्लै, (मरणोपरांत)
मद्रास ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—19 मार्च, 1975)

19 मार्च, 1975 की सुबह कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार रामकृष्ण पिल्लै ने एक विरोधी बंदी को अचानक हिरासत से निकल कर जंगल की ओर भागते हुए देखा । अपने पास कोई हथियार न होते हुए भी वे विरोधी को पकड़ने के लिए तुरन्त उसके पीछे दौड़ पड़े । दस गज़ की दूरी पर विरोधी करीब 200 फुट गहरे खड्ड में जा कूदा । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी चिन्ता किए बिना, कम्पनी क्वाटरमास्टर हवलदार पिल्लै भी उसमें कूद पड़े और हथियार बन्द विरोधी को पकड़ लिया । वे उस से जूझ पड़े और दोनों ही नीचे की ओर लुढ़कने लगे । इससे कम्पनी क्वाटरमास्टर हवलदार रामकृष्ण पिल्लै के सिर में गम्भीर चोटें आईं जिनसे उनकी मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार कम्पनी क्वाटरमास्टर हवलदार रामकृष्ण पिल्लै ने अदभ्य साहस, पहल कदमी और उच्च कोटि की दृढ़ता का परिचय दिया ।

18. 2866865 राइफलमैन वेद प्रकाश
राजपूताना राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 अप्रैल, 1975)

4 अप्रैल, 1975, को सूचना मिली की एक स्वकथित कप्तान तथा उसके दो सहायक एक गुप्त स्थान पर छुपे हुए हैं । राजपूताना राइफल्स की एक टुकड़ी ने, वहां जाकर गुप्त-स्थान के नज़दीक अपना आधारस्थल बनाया और गुप्त-स्थान का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए सैनिक टुकड़ी के कमांडर, तीन अन्य रैंकों के साथ आगे बढ़े । इनमें एक राइफलमैन वेद प्रकाश भी थे । घोर अंधेरी रात थी और वह स्थान गहरी चट्टानी दर्रों के बीच था । सहसा, विरोधियों ने स्वचालित बन्दूकों से गोलियां चलानी शुरू कर दीं । इनके और विरोधियों के बीच इतनी कम दूरी थी कि दल के कमांडर को आदेश देने तक का समय नहीं था । विरोधियों का जवाब देने के लिए, दो सैनिकों ने मोर्चे सम्भाले और राइफलमैन वेद प्रकाश ने अकेले ही छुपे हुए स्थान पर हमला बोल दिया । यद्यपि इनके चारों ओर गोलियां चल रही थी, फिर भी वे दृढ़ता और साहस से आगे बढ़ते रहे और एक विरोधी को मार गिराया,

जिसकी शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि वह विरोधी-संगठन का स्वकथित कप्तान था ।

इस कारवाई में राइफलमैन वेद प्रकाश ने अदम्य साहस, दृढ़ता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

19. 13607130 छाताधारी सैनिक सूबे सिंह यादव
पैराशूट रेजिमेंट ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 अप्रैल, 1975)

छाताधारी सैनिक सूबे सिंह यादव, पैराशूट बटालियन की एक ऐसी टुकड़ी के सदस्य थे जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था । इन्हें यह काम बहुत ही जोखिमपूर्ण स्थिति में करना पड़ा । चोट लगने और अत्यधिक रक्त स्त्राव के बावजूद भी, ये अपने काम पर लगे रहे और उसे पूरा कर दिया । इस प्रकार, इन्होंने अदम्य साहस, दृढ़ता और उच्च-कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

20. जी०/26256 डी० एस० ई० हयात सिंह
(जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 अप्रैल, 1975)

इंजिन स्टेटिक ड्राइवर हयात सिंह को कोहिमा-मैलूरी सड़क पर नई तह बिछाने का काम सौंपा गया था । 28 अप्रैल, 1975 को जब ये ढलान पर रोड़ रोलर चला रहे थे तो अचानक ही उसके ब्रेक और क्लच फेल हो गये । रोड-रोलर काबू से बाहर हो गया और वह ढलान पर तेज गति से बढ़ने लगा । डी० एस० ई० हयात सिंह ने अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोया । इन्होंने उसके स्टीयरिंग को पहाड़ी की ओर मोड़ कर उसे रोका और इस प्रकार उसे खड्ड में गिरने से बचाया । ज्योंही मशीन पहाड़ी से टकराई, ये पहाड़ी और मशीन के बीच में जा गिरे और रोड-रोलर के पिछले पहिए से इनकी दोनों टांगें पिस गईं । बाद में इनकी दोनों टांगों को काटना पड़ा ।

इस प्रकार डी० एस० ई० हयात सिंह ने अदम्य साहस, बड़ी सूझ-बूझ और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

21. श्री जेठू बैगा, (मरणोपरांत)
ग्राम पालक, पुलिस चौकी बोडला,
जिला राजनन्दगांव, मध्य प्रदेश ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 अप्रैल, 1975)

27-28 अप्रैल, 1975 की रात को डाकुओं के एक गिरोह ने विलासपुर जिले के लागरा गांव में सशस्त्र डकैती डाली और काफी लोगों को गम्भीर रूप में घायल करके एक लाख से भी अधिक रुपये की सम्पत्ति ले गए और बाद में अपनी जीप में बैठकर राजनंद गांव जिले के चिल्पी घाट जा पहुंचे । वे महाराष्ट्र की सीमा में पहुंच गए होते, परन्तु उनकी जीप पंक्चर हो गई अत: उसे वहीं छोड़कर उन्हें पास ही घने जंगल में छुपना पड़ा ।

इस गिरोह के कुछ डाकू भोजन की तलाश में पालक गांव में गए । गांव की बाहरी सीमा पर गांव की कुछ औरतों ने उन्हें देखा और उन्होंने गांव के मुखिया व अन्य ग्रामीणों को बताया कि हथियारों से लैस कुछ लोगों को उन्होंने संदेहात्मक स्थिति में घूमते हुए देखा है । मुखिया 65 वर्षीय श्री जेठू बैगा ने लोगों को संगठित किया और वे डाकुओं को खोज निकालने और उन्हें पकड़ने के लिए जंगल में गए । इस दौरान डाकुओं का गिरोह एक पहाड़ी पर चढ़ गया था । डाकुओं ने इन पर गोलियां चलाईं परन्तु अपने उद्देश्य में अटल श्री जेठू बैगा ने पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखा । फलत : डाकुओं की लगातार गोलीबारी से श्री जेठू बैगा की मृत्यु हो गई । और उनके कुछ अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये ।

इस प्रकार श्री जेठू बैगा ने महान साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया ।

22. श्री कल्लियाणपुर पद्मनाभ नायक
श्री कड़िलप्पा मताडा बनाकेश

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 जून, 1975)

17 जून, 1975 को लगभग 1 बजे, एक आदमी सिंडिकेट बैंक बिल्लारी में घुसा, वह खजांची के पास गया और रिवाल्वर दिखा कर खजांची की दराज से सभी नोटों को हथियाने के बाद भागने का प्रयास किया । जब बैंक के मैनेजर ने शोर मचाया तो पालिटेकनीक कालेज, बिलारी के प्रवक्ता श्री कडिलप्पा मताडा बेनाकेश ने, जो वहां उपस्थित थे, अभियुक्त को पकड़ने और उसे भाग निकलने से रोकने का प्रयत्न किया । अभियुक्त ने एक गोली श्री बेनाकेश पर चलाई जो इनकी बाईं जांघ पर लगी । बैंक के मैनेजर, बैंक के क्लर्क श्री कल्लियाणपुर पद्मनाभ नायक और अन्य कुछ लोगों ने अभियुक्त का पीछा किया परन्तु उसने फिर इन पर गोलियां चलाईं । श्री नायक की बांई जांघ में गोली लगी । इसके बावजूद उसका पीछा किया गया और उसे पकड़ कर उससे सारे रुपये वसूल कर लिए गए ।

इस प्रकार सर्वश्री कल्लियाणपुर पद्मनाभ नायक और कड़िलप्पा मताड़ा बेनाकेश ने अदम्य साहस, दृढ़ता और उच्च कोटि के पहल-शक्ति का परिचय दिया ।

23. श्री यांगसी,
ग्राम स्वयंसेवक दल,
मणिपुर ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—30 जून, 1975)

श्री यांगसी, सन् 1966 में ग्राम स्वयंसेवक दल के सदस्य बने और ये इस दल में सबसे पुराने स्वयंसेवकों में से हैं । सन् 1974 के आखिर में जब ये भारत-बर्मा सीमा पर चस्साद चौकी में ग्राम स्वयंसेवक दल का नेतृत्व कर रहे थे तो इन्होंने विरोधियों के आत्म-समर्पण कराने में बड़ी सहायता की । इन्होंने जून, 1975 में एक विरोधी गिरोह के साथ बातचीत की और बड़ी कुशलता से उनसे आत्मसमर्पण करवाया । विरोधियों के साथ सम्पर्क करने के समय से लेकर छ: महीने बाद उनके द्वारा वास्तविक रूप में आत्मसमर्पण करने तक श्री यांगसी ने जंगल में हुई विभिन्न बैठकों में क्षेत्रीय व्यवस्थापक का साथ दिया । जिस समय बात-चीत जारी थी, उस समय श्री यांगसी ने गिरोह के सदस्यों से अलग-अलग व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी किया ।

श्री यांगसी ने आद्योपान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और देश भक्ति की अनुकरणीय भावना, दृढ़ता और उच्च कोटि के साहस का परिचय दिया ।

24. जी/99731 पाइनियर वेल्याकलायल केसवन राजप्पन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 जुलाई, 1975)

3 जुलाई, 1975 को भारी वर्षा के कारण सिक्किम राष्ट्रीय राजमार्ग भारी भूस्खलन के कारण टूट गया । मार्ग को साफ करने के लिए एक डोजर लगाया गया । अभी मलबे को साफ करने का काम चल ही रहा था कि ऊपर से और मलबा गिरना शुरू हुआ और इस तरह डोजर और उसका चालक बीच में ही फंस गए और मलबे में लगभग दब गये । पायनियर वेल्याकलायल केसवन राजप्पन ने तुरन्त ही पास में खड़े एक अन्य डोजर को सम्भाला और यद्यपि ये एक रेगुलर डोजर चालक नहीं थे फिर भी इन्होंने डोजर को चालू किया और उस स्थान की ओर चल पड़े जहां इनका साथी अपने डोजर सहित मलबे में फंसा पड़ा था । इन्होंने बड़ी कुशलता से डोजर चलाया और जान की बाजी लगा कर उस स्थान तक पहुंचे । इन्होंने उस चालक की जान बचाई और डोजर को भी वहां से निकाला ।

इस कार्यवाही में, पायनियर वेल्याकलायल केसवन राजप्पन ने अनुकरणीय साहस, पहलकदमी और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

दिनांक 17 मई 1976

सं० 39-प्रेस०/76—राष्ट्रपति भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कुल प्रसाद,
हैड कान्स्टेबल सं० 3764,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया :

2 सितम्बर, 1975 को श्री कुल प्रसाद हैड कान्स्टेबल ने, जबकि वह पैट्रोल ड्यूटी पर थे अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया । उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट नेतृत्व और साहस का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर 1975 से दिया जाएगा ।

कु० बालचन्द्रन्,
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मई 1976

नियम

सं० 12/6/76-के० से०-II—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध) द्वारा 1976 में निम्नलिखित सेवाओं में अस्थायी रिक्तियों के भरने के प्रयोजन के लिए ली जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-III

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-III

(iii) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-III

(iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में आशुलिपिकों के पद ।

कोई भी उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं में से किसी एक या एक से अधिक से संबंधित परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है । इन सेवाओं में से जितनी के लिए भी वह उम्मीदवारी के लिए विचार कराया जाना चाहे अपने आवेदन पत्र में उनका उल्लेख कर सकता है ।

नोट:—उम्मीदवार को चाहिए, कि वे जिन सेवाओं के लिए प्रतियोगिता करना चाहते हैं उनकी वरीयता के क्रम को स्पष्ट रूप से लिख दें । उम्मीदवार द्वारा प्रारंभ में अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं के वरीयता क्रम में परिवर्तन करने के किसी भी ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध) के कार्यालय में 31-3-1977 अथवा उससे पहले प्राप्त न हो ।

2. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध) द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में निहित विधि से किया जाएगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान संस्थान द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी की गई सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी । भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा की गई संख्या तक आरक्षण की व्यवस्था होगी ।

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी पद पर (चाहे लड़ाकू सैनिक के रूप में रहा हो अथवा नहीं) छः मास की अवधि तक निरन्तर रहा हो और दुराचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त करके निर्मुक्त न किया गया हो ।

व्याख्या—इन नियमों के प्रयोजन के लिए संघ को सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल हैं, लेकिन उसमें निम्नलिखित सेनाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं :—

(क) आसाम राइफल्स,

(ख) लोक सहायक सेना, और

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ।

(घ) जम्मू तथा कश्मीर मिलीसिया,

(ङ) रक्षा सुरक्षा दल,

(च) प्रादेशिक सेना ।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है:—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959 संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970।

4. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(च) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान बंगला देश बर्मा, श्रीलंका तथा अफ्रीकी देशों केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका व जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो।

परन्तु ऊपर की श्रेणी (ग), (घ), (ङ) और (च) से सम्बंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

किन्तु निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग के उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा:—

(I) 19 जुलाई, 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित और साधारणतः तब से भारत में रह रहे व्यक्ति ।

(II) 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित वे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीयित करा लिया हो ।

(III) तथापि ऊपर की श्रेणी (च) के उन गैर-नागरिक उम्मीदवारों जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आ गए और तभी से लगातार उस सेवा में हैं, के मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा परन्तु जो व्यक्ति सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उसी सेवा में फिर आया हो अथवा फिर आए उसे सामान्य रीति से पात्रता प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होगा ।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामलें में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है यदि सरकार आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है तथा अनन्तिम रूप से उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है ।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित न हो, या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव का निवासी न हो, या केन्या/उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन करके न आया हो वह प्रतियोगिता में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकता । यह प्रतिबन्ध सन् 1972 में ली गई परीक्षा से लागू होगा ।

नोट :— 1 परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन के बाद अथवा पहले किसी भी समय यदि यह पाया गया कि उम्मीदवार परीक्षा में पहले दो बार बैठ चुका था और इस लिए वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है तो उसका परिणाम यथा स्थिति रोका अथवा रद्द कर दिया जाएगा और नियम 15 के अनुसार उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

नोट : 2—इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई भी उम्मीदवार किसी एक अथवा अधिक सेवा/पदों के लिए प्रतियोगिता करे तो वह परीक्षा के सभी सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में एक बार बैठा हुआ माना जाएगा।

नोट 3:—यदि वह वास्तव में एक अथवा अधिक प्रश्न पत्रों में बैठा हो तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठा हुआ माना जाएगा।

(क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1976 को 18 वर्ष की हो गई हो और 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1951 से पहले और 1 जनवरी, 1958 से के बाद न हुआ हो।

(ख) उस ऊपरी आयुसीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष आयु तक की छूट दी जाएगी जो संघ राज्य प्रशासन सहित भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों/विभागों तथा निर्वाचन आयोग अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय में आशुलिपिकों (भाषा आशु-लिपिकों सहित)/लिपिकों आशुटंककों/हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के पद पर नियमित रूप से नियुक्त है और 1 जनवरी, 1976 को जिन्होंने आशुलिपिकों (भाषा आशुलिपिकों सहित)/ लिपिकों/आशुटंककों/हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली है और उसी रूप में सेवा कर रहे हैं।

परन्तु यह भी शर्त है कि उपर्युक्त आयुसीमा में छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचि-वालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (परीक्षा स्कंध) द्वारा आयोजित किसी पूर्व परीक्षा के आधार पर आशुलिपिक नियुक्त हैं।

नोट :—डाक व तार विभाग के सम्बद्ध कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छंटाइकारों की सेवा इस नियम के प्रयोजन के लिए लिपिक ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी।

(ग) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो, उनकी सशस्त्र सेना में कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयुसीमा में छूट दी जाएगी।

परन्तु इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

नोट :—उपरोक्त नियम 6 (ग) के प्रयोजन के लिए किसी भूत-पूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और अधिक छूट दी जायेगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार बंगलादेश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च 1971 से पहले प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा बंगलादेश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971, से पहले प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके पश्चात् श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उंगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार, जाम्बिया, मलावी, जेरा तथा इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(9) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप

नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(10) किसी दूसरे देश से झगड़े के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय आशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कर्मचारियों के मामलों में जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो, अधिकतम 8 वर्ष तक,

(11) यदि उम्मीदवार किसी ऐसे राज्य क्षेत्रों का निवासी हो जो 20 दिसम्बर, 1961 के तुरन्त पहले गोवा, दमन और दीव के भाग के थे तो अधिकतम तीन वर्ष,

(12) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष तक, और

(13) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्रवाइयों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम, 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर विहित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

टिप्पणी (1) उपर्युक्त नियम 6(ख) के अन्तर्गत परीक्षा में प्रवेश किए गए व्यक्ति की उम्मीदवारी उस हालत में रद्द कर दी जाएगी यदि वह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा से पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा उसके विभाग द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा अथवा पद से उसकी छंटनी कर दी जाती है तो भी वह परीक्षा के योग्य बना रहेगा।

(2) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक/लिपिक/आशुटंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक सहित) जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया गया हो उस पर उसका धारणाधिकार (लियन) हो तो वह परीक्षा में बैठने का पात्र होगा, यदि वह अन्यथा पात्र हो।

(7) यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उनके पास निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र हो :—

(1) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा;

(2) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक हाई स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग) माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाणपत्र के दिये जाने के लिए जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण पत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई कोई परीक्षा;

(3) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज);

(4) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपिय हाई स्कूल परीक्षा;

(5) अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र;

(6) दिल्ली पोलीटैकनीक के तकनीकी हायर सैकेण्डरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र;

(7) भारत में किसी मान्यता प्राप्त हायर सैकेण्डरी स्कूल/मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सैकेण्डरी पाठ्यक्रम/मल्टीपरपज पाठ्यक्रम (जो किसी छात्र को डिग्री के कोर्स के लिए पात्र बनाता है के उपान्तिम वर्ष में ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण;

(8) किसी मान्यता प्राप्त हायर सैकेण्डरी स्कूल या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिये छात्रों को तैयार कराने वाली किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र;

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए;

(10) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट ;

(11) नेशनल काउन्सिल आफ एजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टेन्डर्ड परीक्षा;

(12) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रैंच परीक्षाएं:—
(1) ब्रोवे इलिमेनटेयर (2) ब्रोवे देससीमा प्रीमियेर द लांग इंदियेन ब्रोवे दे एतयूद दुयु प्रीमिये सिकल (4) ब्रोवे द एसीमा प्रीमियेर सुपीरियर वेलांग इंदियेन और (5) ब्रोवे दे लांग इंदियेन (वर्गाक्यूलर)।

(13) इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन;

(14) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशन स्टेट;

(15) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा;

(16) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा;

(17) ईस्ट बंगाल सैकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र;

(18) बंगला देश में कौमीला/राजशाही/खुलना/जैसौर के बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजूकेशन द्वारा दिए गए सैकेण्डरी स्कूल के प्रमाण पत्र;

(19) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा) परीक्षा;

(20) एंग्लोवर्नाक्युलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा);

(21) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, विश्वविद्यालय कोर्स के लिए पात्रता सहित;

(22) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एंग्लोवर्नाक्युलर हाई स्कूल परीक्षा (युद्धपूर्ण);

(23) बर्मा का पोस्टवार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट;

(24) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की विनित परीक्षा;

(25) गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा लाईसिमूम के पांचवें वर्ष में पास;

(26) श्री लंका की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन (साधारण स्तर) नामक परीक्षा यदि वह कम से कम पांच विषयों सहित पास की गई हो;

(27) सामान्य स्तर पर लंदन के एसोसिएटिड एग्जामिनेशन बोर्ड्स का जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो;

(28) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर /सैकेण्डरी तकनीकी स्कूल परीक्षा;

(29) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा उस विद्यालय के विषयों में से एक विषय अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ट परीक्षा;

(30) गोवा, दमन तथा दीव की स्वतन्त्रता से पूर्व पुर्तगाली स्थापना के अन्तर्गत इस्कोला इन्ड-स्ट्रयल, कार्मशियल दी गोवा, पाणजी द्वारा दिया गया/कार्ते दी कुर्सी दी, फेमिका दी सेरलेहरी (सिमिधी पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र) तथा कार्ता दी कुर्सी दी मोन्तादर इलेक्ट्रीसिस्टा (इलैक्ट्रीसियन) पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र;

(31) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, डिप्लोमा परीक्षा;

(32) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली 'मध्यमा' परीक्षा;

(33) शिक्षा निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा कार्पोरिल के रैंक में पदोन्नति हेतु ली जाने वाली भारतीय वायुसेना शैक्षिक परीक्षा;

(34) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली अर्हक विज्ञान परीक्षा;

(35) शिक्षा मंत्रालय मलेशिया के सहयोग से ली जाने वाले कैम्ब्रिज लोकल एग्जामिनेशन सिन्डीकेट विश्वविद्यालय की मलेशियन सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा;

(36) पंजाब विश्वविद्यालय की हायर सैकेण्डरी (कोर विषय) परीक्षा;

(37) वायेज ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, विशाखापटनम द्वारा ली गई पासिंग आउट (भारतीय नेवी) परीक्षा;

(38) एंग्लो इंडियन स्कूल मद्रास के निरीक्षक द्वारा ली गई एंग्लो इंडियन हाई स्कूल परीक्षा (स्टैंडर्ड XI);

(39) भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा X परीक्षा) का भारतीय प्रमाण पत्र बशर्ते कि यह परीक्षा पांच विषय लेकर पास की गई हो जिनमें गणित, विज्ञान और कम से कम दो भाषाएं सम्मिलित हों। पांचवां विषय ग्रुप I के शेष विषयों (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल) अथवा ग्रुप II के विषयों (कला तकनीकी ड्राइंग के साथ लकड़ी का कार्य अथवा धातु कार्य, प्रारम्भिक गृह विज्ञान, प्रारम्भिक लेखा जोखा और कार्यालय पद्धति के साथ (आशुलिपिक तथा टंकण) में से कोई सा हो सकता है;

(40) तनजानियां सरकार की परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय फार्म IV परीक्षा;

(41) जामिया मिलया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा ली गई जामिया हायर सैकेण्डरी परीक्षा;

(42) एसकोवा प्रोफसनव डी डोन बोस्को वाल्पाई (गोवा) द्वारा दी गई ए पास इन दी कर्सी क्रिकेनल डी मेकानिको;

(43) भारत के किसी हायर सेकेण्डरी तथा मल्टिपर्पज स्कूल से उपांतिम वर्ष की परीक्षा में पास;

(44) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से नवीन उत्तर मध्यम (अंग्रेजी के साथ)।

टिप्पणी 1—कुछ विशिष्ट मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है, केन्द्रीय सरकार अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है, बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है, जो इस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

8. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका पति/पत्नी पहले से हैं या

(ख) जिसने, जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है तो सेवा में नियुक्ति के लिए, तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सम्बन्धी अन्य पक्ष के लिए प्रवृत्त व्यक्ति गत कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकृत है तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और उसको इस नियम से छूट न दे दें ।

9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग अध्यक्ष की अनुमति ले लेनी होगी ।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारिरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप म अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं, को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संभावना हो ।

टिप्पणी:— अशक्त भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामलों में रक्षा सेवा के सेम विघटन डाक्टरी बोर्ड (डिमोबोला-ईजेशन मैडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जायेगा ।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास संस्थान का प्रवेश पत्र (सार्टिफिकेट आफ ऐडमीशन) न हो ।

13. सशस्त्र सेनाओं से निर्मुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें संस्थान के नोटिस के पैरा 8 (iv) के द्वारा फीस देने में छूट दी गई हो, सभी उम्मीदवारों को संस्थान के नोटिस के पैरा 8 (i) में निर्धारित फीस देनी होगी ।

भूतपूर्व सैनिकों की फीस में रियायत केवल तब ही दी जाएगी, जब कि वे भूतपूर्व सैनिकों के रूप में पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।

15. यदि किसी उम्मीदवार को संस्थान द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) संस्थान द्वारा उस परीक्षा, से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) (i) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधीन किसी भी नौकरी

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

16. परीक्षा के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के आधार पर संस्थान उम्मीदवार को गुणनक्रम (मेरिट) के आधार पर और उसी क्रम से परीक्षा परिणामों के आधार पर प्रत्येक सेवा में भरे जाने के लिए निश्चित अनारक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवारों की परीक्षा के द्वारा अर्हता प्राप्त देखेगा, उनको केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी-III और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आशुलिपिकों के पदों में नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा ।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई तो संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य मान के अनुसार उसे उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर देने पर उस सेवा/पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिये बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी ।

जो भूतपूर्व सैनिक परीक्षा फल के आधार पर संस्थान द्वारा नियुक्ति के योग्य समझे जाएगें वे अपने लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के योग्य होंगे और परीक्षा में उनके योग्यता क्रम पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

आगे यह भी शर्त है कि भूतपूर्व सैनिकों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई तो उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिकों की जिन्हें संस्थान की शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो उस सेवा/पद पर नियुक्ति को जाने के लिए परीक्षा में उसे उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी ।

17. परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय उन वरीयताओं पर समुचित ध्यान दिया जायेगा जो उम्मीदवार ने विभिन्न सेवाओं के लिए अपने आवेदन पत्र (आवेदन पत्र का कालम 13) में दी थी ।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय संस्थान अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परिणामों के सम्बन्ध में उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

19. परीक्षा में सफल होने मात्र से ही उम्मीदवार को उक्त सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-III में नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिल जाएगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार को यथाअवश्यक जांच के बाद इस बात की तसल्ली न हो जाए कि उम्मीदवार अपने चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

20. उन सेवाओं से सम्बन्धित सेवा के विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है, संक्षेप में परिशिष्ट II में दिए गए हैं ।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट I

(1) परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग-क लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	1½ घंटे	50
(2) निबन्ध	1½ घंटे	50
(3) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

भाग-ख अंग्रेजी अथवा हिन्दी में आशुलिपिक परीक्षा
(जो लिखित परीक्षा में पास होंगे उन्हीं के लिए)
300 अंक

टिप्पणी:— उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक के नोट को टंकण मशीन पर नकल करना होगा और इस उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी मशीन साथ लानी होगी।

(2) लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा आशुलिपिक परीक्षा की योजना इस परिशिष्ट की अनुसूची में दिए गए अनुसार होगी।

(3) उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (2) निबन्ध और प्रश्न पत्र (3) सामान्य ज्ञान का उत्तर या तो हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में देने की छूट है। दिया गया विकल्प (अर्थात् हिन्दी अथवा अंग्रेजी) उपर्युक्त दोनों प्रश्न पत्रों के लिए समान हैं। जो उम्मीदवार इन दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी केवल हिन्दी में ही देनी होगी। और जो उम्मीदवार प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी अंग्रेजी में देनी होगी। प्रश्न पत्र (1) सामान्य अंग्रेजी का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में देना होगा।

टिप्पणी.— 1. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र (2) निबन्ध तथा (3) सामान्य ज्ञान तथा आशुलिपि परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि में) देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र के कालम 8 में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा का उत्तर अंग्रेजी में देंगे ।

एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए सामान्यतय कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा ।

टिप्पणी-2 ऐसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प

लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपिक और जो आशुलिपिक की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपिक सीखनी आवश्यक होगी।

टिप्पणी-3. जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं और निबन्ध के प्रश्न पत्र तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (3) का उत्तर तथा आशुलिपिक की परीक्षा हिन्दी में देना चाहते हैं उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षा देने के लिए विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशन में, वहां ऐसी परीक्षा लेने के आवश्यक प्रबन्ध हो जाना पड़ सकता है।

4. जो उम्मीदवार 100 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुत-लेखन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 80 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेखन में स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुक्रम में रखा जाएगा [निम्नलिखित अनुसूची के भाग (ख) को देखें]।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति को सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संस्थान अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

8. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

9. लिखित विषयों में अस्पष्ट लिखावट के कारण, पूर्णांक के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रम बद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई अभिव्यक्ति का लाभ दिया जाएगा।

अनुसूची

भाग-क

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

टिप्पणी:—भाग 'क' के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी:—इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और शुद्ध निबन्ध रचना के ज्ञान को तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की योग्यता की जांच करना है। अंक देते समय वाक्य विन्यास सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा कौशल का ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में निबन्ध लेखन, मसौदा लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरे और उपसर्ग, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भाषण आदि शामिल किए जा सकते हैं।

निबन्ध:—अनेक निर्धारित विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना होगा।

सामान्य ज्ञान:—भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाएं सामान्य विज्ञान के विषयों का थोड़ा बहुत ज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बाते जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट हो कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तर से किसी पाठ्यक्रम पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती।

भाग-ख

आशुलिपिक परीक्षा की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी—एक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट के लिए और दूसरी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 50 तथा 65 मिनट में लिपयंतर (नकल) करने होंगे।

हिन्दी में आशुलिपि की दो श्रुत लेख परीक्षायें होगी—एक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से 10 मिनट के लिए जो उम्मीदवारों की क्रमशः 60 तथा 75 मिनट में लिपयंतर (नकल) करनी होंगी।

परिशिष्ट-2

उन सेवाओं से सम्बन्धित विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है :—

क. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की इस समय निम्न चार श्रेणीयां हैं :—

चयन ग्रेड:—रुपये 650-30-740-35-810-द० रो० -35-880-40-1000-द० रो० -40-1200।

परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड-I से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति उम्मीदवारों को कम से कम रु० 775/- का वेतन मिलेगा।

ग्रेड-I—रु० 650-30-740-35-880-द० रो० -40-1040।

परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड-II से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति उम्मीदवारों को कम से कम रु० 710/- का वेतन मिलेगा ।

ग्रेड-II—रु० 425-15-500-द० रो० -15-560-20-700 द० रो०-25-800. ।

ग्रेड-III—रु० 330-10-380-द० रो० -12-500- द० रो० 15-560 ।

(2) श्रेणी 3 में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष के लिए परीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार सम्बन्धित व्यक्ति का अपने पद पर स्थायीकरण कर सकती है अथवा उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी उचित समझे बढ़ा सकती है ।

(4) सेवा श्रेणी 3 में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा । वे किसी भी समय किसी भी ऐसे दूसरे कार्यालय या मंत्रालय में बदले जा सकते हैं ।

(5) सेवा की श्रेणी 3 में नियुक्त किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा :—

क(1):—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड:—रुपये 650-30-740-35-810- द० रो० -35-880-40-1000-द० रो० -40-1200 ।

परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड से पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को कम से कम 775/ रु० वेतन मिलेगा ।

ग्रेड-I—रुपये 650-30-740-35-880-द० रो० -40-1040 ।

परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड- से पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को कम से कम 710/- रु० का वेतन मिलेगा ।

ग्रेड—रुपये 425-15-500 -द० रो० -15-560-20-700-द० रो० 25-800 ।

ग्रेड-III—रुपये 330-10-380- द० रो० 12-500-द० रो०-15-560 ।

(ii) श्रेणी III में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और परीक्षाएं पास करनी होंगी । परीवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर यदि सरकार की राय में यह पाया जाता है कि उनमें से किसी का भी कार्य या आचरण असंतोषजनक है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि उतनी और बढ़ायी जा सकती है जितनी सरकार उचित समझेगी ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय मात्र के लिए है और स्टाफ का अन्य मंत्रालय में अन्तरण नहीं किया जाता जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में होता है ।

(ग) रेलवे बोर्ड की आशुलिपिक सेवा के अधिकार इन नियमों के अधीन भर्ती किए जाते हैं :—

(I) पेंशन लाभ के पात्र होंगे और

(II) गैर अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के उन नियमों के अन्तर्गत इस निधि में योगदान करना होगा जो सेवा में उनके जाने पर नियुक्ति की तारीख से लागू होंगे ।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार पास और पी० टी०-ओ० का विशेषाधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(ङ) जहां तक छुट्टी और सेवा के अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के स्टाफ के साथ वैसा ही व्यवहार किया जायेगा जैसा कि अन्य रेल कर्मचारियों के साथ किया जाता है लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के मामलें में वे नई दिल्ली मुख्यालय वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगे ।

ग—सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड:—रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 ।

परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड से पदोन्नति होने वाले उम्मीदवारों को कम से कम रु० 775/- का वेतन मिलेगा ।

ग्रेड-I—रु० 650-30-740-35-880-द० रो०- 40-1040 ।

परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड-II से पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 710/-रु० का वेतन मिलेगा ।

ग्रेड-II—रु० 425-15-500 -द० रो० -15-560-20-700 द० रो०- 25-800 ।

ग्रेड-III—रु० 330-10-380-द० रो०-12-500- द० रो०-15-560 ।

2. ग्रेड III में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष तक परीवीक्षा पर होंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । परीक्षाएं पास करनी होंगी । परिवीक्षा की अवधि के दौरान यदि किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा का रिकार्ड असंतोषजनक होगा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसको परिवीक्षा की अवधि को उतना और बढ़ाया जा सकता है जितना कि सरकार उचित समझे ।

3. उक्त सेवा के ग्रेड-III में भर्ती किए गए व्यक्तियों को साधारणतया दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अन्त: सेवा संगठनों तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय (ए० एफ० एच० क्यू०) के किसी भी कार्यालय में नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर ऐसे अन्य स्टेशनों पर भी जहां ए० एफ० एच० क्यू०/आई० एस० संगठनों के कार्यालय हों नियुक्त किया जा सकता है।

4. उक्त सेवा के ग्रेड-III में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्त सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

घ—केन्द्रीय सतर्कता आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में आशुलिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक—रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040।

वैयक्तिक सहायक — रु० 425-15-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

आशुलिपिक — रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो० -15-560।

2. आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। इस अवधि के दौरान, उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने और परीक्षाएं पास करनी पड़ सकती हैं। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान सेवा का रिकार्ड असंतोषजनक होने से परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से विमुक्त किया जा सकता है या उनकी परिवीक्षाधीन अवधि को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यथोचित समझी गई अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में आशुलिपिकों के पद के० स० आ० से० में सम्मिलित नहीं हैं परन्तु उन पर भी वही नियम लागू होंगे, जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1976

No. 40-Pres/76.—The President is pleased to approve the award of the "SHAURYA CHAKRA" for acts of gallantry to :—

1. Shri DHARAM PAL, S/o Shri Mangal Sain,
House No. 1378, Gali No. 3,
Tri Nagar, Delhi-33.

(*Effective date of the award—26th January*, 1973)

On the 26th January, 1973 Shri Dharam Pal along with his relative Shri Munshi Ram, was returning to Tri Nagar after witnessing the Republic Day Parade. They boarded a bus that was over-crowded. Shri Munshi Ram boarded it first Shri Dharam Pal was getting into the bus when Shri Munshi Ram felt that somebody was pulling the gold chain from his neck. Shri Dharam Pal intervened and caught hold of the criminal. The criminal had two other accomplices who attacked Shri Dharam Pal. No bus passenger came forward to his assistance. In the scuffle, the criminal whipped out a butcher's knife and chopped off Shri Dharam Pal's right hand by which he was holding him. Having committed the crime, the criminals ran away. Although Shri Dharam Pal's right hand was chopped off and he was bleeding profusely, he chased the criminals who soon disappeared in the adjoining lanes. All the three criminals were subsequently arrested and convicted.

In this encounter Shri Dharam Pal displayed exemplary courage and determination of a high order.

2. 7997519 Pioneer GHAM RAM
GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE

(*Effective date of the award—1st December*, 1973)

On 1st December, 1973, Pioneer Gham Ram was detailed as a member of a party escorting a vehicle carrying cash. While the vehicle was on the way from Lungleh Treasury to Headquarters of a Border Roads Task Force, it was ambushed by hostiles. In the encounter, the Officer-in-Charge of the party and one rifleman were killed and a few others were seriously injured. Pioneer Gham Ram, despite the risk to his life, immediately engaged the hostiles. Other members of the escort party were also inspired by this action and they immediately returned the fire. As a result of the prompt and courageous action of Pioneer Gham Ram, the escort party was able to save the cash from falling into the hands of the hostiles.

In this action, Pioneer Gham Ram displayed exemplary courage, determination and presence of mind of a high order.

3. MAJOR AMBARISH BANERJEE (IC 28340),
MAHAR.

(*Effective date of the award—2nd April*, 1974)

On the night of 1/2 April, 1974, Major Ambarish Banerjee was detailed to raid a hostile hide-out, the approach to which was extremely difficult and involved movement over steep and slippery surface during darkness. The raiding party skilfully approached the hide-out maintaining silence. Just when they were near the hide-out, the hostiles occupying it got suspicious. One of the hostiles was seen picking up his gun to open fire. Before the hostile could do so, Major Banerjee jumped over the hostile and disarmed him. In this raid self styled sergeant and a self styled officer of the hostiles were apprehended.

On another occasion, while raiding a camp of hostiles Major Banerjee and his column came under heavy fire from an ambush party. Unmindful of the fire and in utter disregard to his personal safety, he sprang from his position and pressed home the attack with speed and thus saved the lives of his men. Subsequently, in two separate operations, he apprehended an important ring leader, who was hiding in a village, and several important members of the hostile set up.

Major Ambarish Banerjee thus displayed exemplary courage, initiative and leadership of a high order.

4. G/26075 OEM BIR SINGH (*Posthumous*)
GREF.

(*Effective date of the award—27th May*, 1974)

G/26075 Operator Excavating Machinery, Bir Singh was deployed on new formation cutting in Chowkibal Tangdhar Road. On 27th May, 1974, while operating his dozer, all of a sudden, he suffered a severe heart attack. Even in his critical condition he made frantic efforts to bring the dozer to the neutral gear and ultimately saved it from falling into the valley. The heart attack was so severe that he could not even come out of his seat. He collapsed and died while still on the dozer.

OEM Bir Singh thus displayed determination and devotion to duty of a high order.

5. 1447602 SAPPER BHOLA PRASAD SINGH
ENGINEERS

(Posthumous)

(Effective date of the award—22nd September, 1974)

During September, 1974, the flood waters had caused breaches in the irrigation bunds in Samastipur district. An Engineer Regiment was ordered to rush a Task Force to Samastipur. On the morning of the 22nd September, 1974, the advance party, with six boats, left Samastipur for Warisnagar along the river Burhi Gandak. Sapper Bhola Prasad Singh was acting as the coxwain of the leading boat. He saw a live electric cable ahead of him dangling from a damaged pole, which was slightly immersed in the water. Because of the fast current, it was not possible to turn the heavily loaded boat within that short radius due to fear of its capsizing. Sensing the danger, he shouted and cautioned the boats coming behind him, some of them carrying the District Officials. Those boats, being further behind, managed to turn back safely. The leading boat was hardly a few yards away from the electric cable. Sapper Bhola Prasad Singh knew that his boat would soon get entangled with the live wire electrocuting all the crew. He picked up an oar and knowing full well that he was endangering his own life, lifted the wire up with the oar so that the boat could pass under it. The boat just managed to get pass without touching it but due to the speed, the oar slipped and the wire hit him. He was thrown out of the boat due to the shock and he died on the spot.

Sapper Bhola Prasad Singh thus displayed exemplary courage, initiative and devotion to duty of a high order.

6. 13904743 SEPOY/COOK HARIHAR SARAN
ARMY MEDICAL CORPS

(Posthumous)

(Effective date of the award—29th September, 1974)

On the 29th September, 1974 Sepoy/Cook (H) Harihar Saran, while working in a General Hospital, heard the fire alarm. He rushed out of the cook house and noticed that the gas plant was ablaze. He realised the danger of the fire spreading from the gas plant to the entire hospital building. With utter disregard to his personal safety, he entered the premises of the burning gas plant and switched off the main valves of the supply pipes. As a result, he sustained severe burns on his body and succumbed to them later on. His bold and prompt action saved the hospital and also lives of many patients.

Sepoy/Cook Harihar Saran thus displayed exemplary courage, initiative and devotion to duty of a very high order

7. Second Lieutenant AKOIJAM DINAMANI SINGH
(SS 26831)
SIKH LIGHT INFANTRY

(Posthumous)

(Effective date of the award—7th October, 1974)

On 7/8 October, 1974 Second Lieutenant Akoijam Dinamani Singh of an Infantry Battalion was travelling in the Assam Mail while proceeding on annual leave to his home town Imphal. He had two co-passengers in his compartment At approximately 0520 hours on 8th October, 1974 between Kharupur and Fathuja in Bihar, the officer heard loud cries for help from the adjacent compartment of the same bogie. He rushed out in the corridor of the bogie and saw a man, holding a blood stained knife, rushing out from the compartment from where the cries were coming. He immediately realised that there had been some foul play. It was later detected that a passenger had been murdered in that compartment. In utter disregard of his personal safety, he pounced upon the murderer, while the criminal was pointing the knife at him. In the scuffle, they reached the door of the bogie which was open and both fell off the running train. Second Lieutenant Akoijam Dinamani Singh died on the spot and the criminal was injured and became unconscious.

In this action, Second Lieutenant Akoijam Dinamani Singh displayed exemplary courage, initiative and determination of a high order.

8. Captain NARENDER SINGH AHLAWAT (IC 25103),
SM GRENADIERS

(Posthumous)

(Effective date of the award—28th November, 1974)

On the 28th November, 1974, during an operation against hostiles Captain Narender Singh Ahlawat of an Infantry Regiment, was assigned the task of establishing two stops, while the main column was conducting a search. Captain Ahlawat accomplished the task and took charge of one of the stops while the other was being looked after by a Non Commissioned Officer. The Non Commissioned Officer saw some hostiles at a distance of 300 yards from his stop, and ordered his Light Machine Gun group to open fire. This took the hostiles by surprise, who ran in disarry. Some of them ran towards the stop of Captain Ahlawat who immediately lifted his stop to intercept the hostiles. Some of the hostiles rushed into the nullah. Captain Ahlawat came face to face with two hostiles whom he made to surrender. In the meantime, another hostile fired from the nullah at one of his stop members. The officer immediately engaged that hostile but in the meanwhile he got a burst in his chest. Though seriously wounded, he continued to engage that hostile and kept on instructing his stops to chase the other fleeing hostiles. He simultaneously apprised the searching column commander of the situation and then lay dead.

In this action, Captain Narender Singh Ahlawat, displayed gallantry, devotion to duty and leadership of a high order.

9. 102447 Lance Naik GANESH BAHADUR RAI
ASSAM RIFLES

(Posthumous)

(Effective date of the award—4th January, 1975)

Lance Naik Ganesh Bahadur Rai was the leading scout of a party of the Assam Rifles who were ordered on 4th January, 1975 to establish a stop in Mokokchung District against a gang of hostiles. As this party was probing forward, Lance Naik Ganesh Bahadur Rai, suddenly came across the camp of the gang, hardly 50 yards away. The hostiles opened fire on the party. In utter disregard to his personal safety, Lance Naik Ganesh Bahadur Rai returned the fire effectively. During the encounter, he was severely injured in his right fore-arm. Notwithstanding this injury, he continued to engage the hostiles and was able to shoot a self-styled Captain. This action took the hostiles completely by surprise and afforded time for Lance Naik Rai's colleagues to take cover and deploy properly. Lance Naik Rai later succumbed to his injuries.

In this action, Lance Naik Ganesh Bahadur Rai displayed exemplary courage, initiative and devotion to duty of a high order.

10. G/11218 OEM ANAND MANI
GREF

(Effective date of the award—4th February, 1975)

On 4th February, 1975, Operator Excavating Machinery Anand Mani was deployed for clearing a heavy block of boulders on Aijal—Tuipuibari Road. When he was operating the machine, all of a sudden, he saw a heavy boulder slide coming straight on to his dozer. Instead of trying to save his own life, he stayed on to save the dozer. He quickly reversed the machine to a place of safety. In the process, he was seriously injured by a falling boulder and became unconscious. His one leg and one arm became incapacitated.

OEM Anand Mani thus displayed exemplary courage, presence of mind and devotion to duty of a high order.

11. G/12306 Supdt B/R Gde I MOHAN SINGH
GREF

(Effective date of the award—20th February, 1975)

On 20th February 1975, the National Highway in Jammu and Kashmir, was blocked due to a huge land slide. A large number of passenger and stores vehicles were stranded without any food and shelter. Restoration of the line of communication was a difficult task due to continuous falling of

boulders. Supdt Mohan Singh of Road Maintenance Platoon, regardless of his personal safety, undertook the work of clearance and personally directed the dozer operator. He inspired his team to carry out the work of clearance in the most expeditious manner. While the work was in progress, a volley of falling boulders hit him and he was severely injured. Nevertheless, he continued to guide the dozer operator and allowed his evacuation only when the work was successfully completed.

In this action, Supdt. Mohan Singh displayed courage, leadership and devotion to duty of a high order.

12. Squadron Leader MANJIT SINGH SEKHON, Vr. C., VM (6756) FLYING (PILOT)

(*Effective date of the award—25th February,* 1975)

On the 25th February, 1975, Squadron Leader Manjit Singh Sekhon, was doing night flying training in a helicopter. He was asked to carry out reconnaissance of the area West of an Airfield in Western Sector for a crashed aircraft. Inspite of limited experience of night flying, he undertook this mission, carried out a search and confirmed an aircraft crash and reported its location. After refuelling, he got airborne again and located the pilot. With intelligent use of his landing light and Radio Telephony, he skilfully landed in a paddy field and rescued the first pilot and flew him back to base. He repeated the same performance and rescued the second pilot also.

In this action, Squadron Leader Manjit Singh Sekhon displayed exemplary courage, devotion to duty and professional skill of a high order.

13. GO-767 AE (CIVIL) KEHAR SINGH CHIMA GREF

(*Effective date of the award—28th February,* 1975)

The devastating earthquake which occurred on the 19th January, 1975, cause wide-spread damage to Sector Pooh-Kaurik on Hindustan Tibet Road.

Restoration of road communication between Shelkar to Sumdoh was entrusted to Assistant Engineer (Civil) Kehar Singh Chima of Road Maintenance Platoon. Unmindful of the chilly winds and sub-zero temperature, and exposing himself to the risk from the shooting boulders that kept falling from the disturbed hill slopes, AE Kehar Singh Chima executed his task under most hazardous and difficult conditions. He inspired the dozer operators and other men under his command to work willingly for long hours by setting a personal example for his men by standing and supervising the work throughout day and night. It was due to his efforts that the road communication was restored within a short time.

AE (Civil) Kehar Singh Chima thus displayed courage, devotion to duty and leadership of a high order.

14. G/61238 Sub Overseer BADRI DATT TEWARI GREF

(*Effective date of the award—28th February,* 1975)

Sub Overseer Badri Datt Tewari of Road Maintenance Platoon was responsible for the construction and maintenance of a portion of the Hindustan-Tibet Road. Due to frequent earthquakes during January and February 1975, this road became extremely unstable and dangerous. Sub Overseer B. D. Tewari had to carry out clearance of land slides on this stretch of the road under constant danger of sudden land slides and shooting boulders. He inspired his men to work long hours under heavy snow-fall and constant danger to life. Despite all odds, Sub Overseer B. D. Tewari succeeded in keeping the road open, thereby facilitating the movement of essential supplies and medical relief to both civil population and Army establishments in the earthquake affected area.

Sub Overseer Badri Datt Tewari thus displayed exemplary courage, leadership and devotion to duty of a high order.

15. G/39425 OEM MOHINDER SINGH GREF

(*Effective date of the award—28th February,* 1975)

Operator Excavating Machinery Mohinder Singh was deployed as a dozer operator for the clearance of the massive landslides caused by the earthquakes on the Hindustan-Tibet Road. Unmindful of the dangers to his life he operated his dozer fearlessly under heavy snow-fall and in sub-zero temperature. Quite often he was entrapped amidst heavy slides and boulders, but he skilfully managed to clear them. It was due to his dedicated efforts that the road was opened to traffic in the shortest time and it was possible to rush essential supplies and medical relief to earthquake affected people.

OEM Mohinder Singh thus displayed great courage, professional skill and devotion to duty of a high order.

16. G/4081 DME IQBAL SINGH GREF

(*Effective date of the award—1st March,* 1975)

On 1st March, 1975, Driver Mechanical Equipment Iqbal Singh was detailed to clear the huge land slide which blocked the National Highway in Jammu and Kashmir. A large number of civilians and Army personnel were stranded on both sides of the slide without any food and shelter; a number of vehicles carrying stores were also held up. DME Iqbal Singh, in utter disregard of the danger due to continuous falling boulders operated his dozer round the clock in the biting cold and under hazardous conditions. He executed the task and was instrumental in restoring the line of communication in a short time.

DME Iqbal Singh displayed exemplary courage, professional skill and devotion to duty of a high order.

17. 2547999 Company Quartermaster Havildar RAMAKRISHNA PILLAI MADRAS (*Posthumous*)

(*Effective date of the award—19th March,* 1975)

On the morning of 19th March, 1975, Company Quartermaster Havildar Ramakrishna Pillai saw a hostile prisoner suddenly breaking away from his escort and escaping into the jungle. Although unarmed, he rushed forward to apprehend the hostile. The fleeing hostile jumped down a sheer drop of about 200 feet. In utter disregard to his personal safety, Company Quartermaster Havildar Pillai also jumped after him, and caught the hostile who was armed. He grappled with him and both rolled down. In the process Company Quartermaster Havildar Ramakrishna Pillai suffered multiple head injuries as a result of which he died.

Company Quartermaster Havildar Ramakrishna Pillai thus displayed exemplary courage, initiative and determination of a high order.

18. 2866865 Rifleman BED PARKASH RAJPUTANA RIFLES

(*Effective date of the award—4th April,* 1975)

On the 4th April, 1975, information was received that a self-styled Captain with two self-styled privates war taking shelter in a hide-out. A party of Rajputana Rifles reached and established a base in the vicinity of the hide-out. The Commander, with a small party of three went forward to ascertain the exact location of the hide-out. Rifleman Bed Parkash formed part of this party of three. It was a pitch dark night and the hide-out was in a deep crevasse. Suddenly the hostiles opened fire with automatic weapons. The distance between them and the hostiles was so small that there was no time for the party leader to issue orders. While two Other Rank took position to return the hostile fire, Rifleman Bed Parkash charged on the hide-out single handed. Although bullets were flying all around him, undaunted and with grit, he moved on and killed one hostile, who later was identified as the self-styled Captain of the hostile set-up.

In this action, Rifleman Bed Parkash showed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

19. 13607130 Paratrooper SUBE SINGH YADAV PARACHUTE REGIMENT

(*Effective date of the award—9th April,* 1975)

Paratrooper Sube Singh Yadav was a member of a Section of a parachute battalion which was assigned the task of a very important nature. He had to perform his task at grave personal risk. Despite injury sustained in the action and profuse bleeding, he continued his efforts and successfully accomplished the assigned task. He thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

20. G/26256 *DES HAYAT SINGH, GREF*

Effective date of the award—28*th April*, 1975

Driver Engine Static Hayat Singh was deployed on resurfacing work on Kohima Meluri Road. On 28th April, 1975, when he was operating a road roller along a slope, its brake and clutch system suddenly failed. The road roller went out of control and started moving down the slope at fast speed. DES Hayat Singh did not lose his presence of mind and saved the machine from falling into the valley, by steering and stopping it against the hill side. The machine skidded, and due to the impact, he was thrown off between the hill and the machine resulting in both his legs being crushed by the rear wheel of the road roller. Later both his legs had to be amputated.

DES Hayat Singh thus displayed exemplary courage presence of mind and devotion to duty of a high order.

21. *SHRI JETHU BAIGA, VILLAGE PALAK, POLICE STATION BODIA, DISTT. RAJNANDGAON, MADHYA PRADESH.* (*Posthumous*)

(*Effective date of the award*—28*th April*, 1975)

On the night of 27th/28th April, 1975, a gang of dacoits committed an armed dacoity in village Lagra in Bilaspur district and took away property with over a lakh of rupees after causing serious injuries to several persons. After the dacoity, they escaped in their jeep and reached Chilpi Ghat in Rajnandgaon District and would have crossed over to Maharashtra, when their jeep got punctured and they had to abandon the vehicle and take shelter in the nearby thick forest.

Some dacoits of this gang went to village Palak in search of food and were noticed by some women on the outskirts of the village. The women informed the headman and the villagers that some armed men had been seen moving about in suspicious circumstances. Shri Jethu Baiga, the headman, organised and led a search into the forest area to apprehend the dacoits. The dacoits had in the meanwhile climbed a hillock. Undeterred by the firing of the dacoits Shri Jethu Baiga, continued ascending the hillock. He was ultimately shot dead by the dacoits and some of his kinsmen were severely injured.

SHRI Jethu Baiga thus displayed great courage, determination and leadership of a high order.

22. *SHRI KALLIANPUR PADMANABHA NAIK, SHRI KADLAPPA MATADA BENAKESH*

(*Effective date of the award*—17*th June*, 1975)

On 17th June, 1975, at about 1 p.m., a person entered the syndicate Bank, Bellary. He went to the cashier and at the point of the revolver, grabbed all the currency notes from his drawer and tried to escape. When the Bank Manager raised an alarm, Shri Kadlappa Matada Benakesh, Lecturer, Polytechnic College, Shantinagar, Bellary, who was present there made efforts to catch the accused and prevent him from escaping. The accused fired one round at Shri Benakesh injuring him in his left thigh. The Bank Manager, Shri Kallianpur Padmanabha Naik a Clerk of the same Bank and others chased the desperado, but he again fired in their direction and in the process Shri Naik received a bullet injury on his left thigh. Notwithstanding this, the accused was chased and caught and the entire cash was recovered.

Sarvashri Kallianpur Padmanabha Naik and Kadlappa Matada Benakesh thus displayed great courage, determination and initiative of a high order.

23. Shri YANGSEI, VILLAGE VOLUNTEER FORCE, MANIPUR

(*Effective date of the award*—30*th June*, 1975)

Shri Yangsei joined the Village Volunteer Force in 1966 and is one of the oldest volunteer organisers in the Force. Towards the end of 1974, when he was in charge of the Village Volunteer Force post at Chassad on the Indo-Burma Border, he rendered valuable assistance in pursuading the hostiles to surrender. He negotiated and successfully concluded the surrender of a hostile gang in June, 1975. From the time of the first contact with the rebels, till the actual surrender six months later, Shri Yangsei accompanied the Area Organiser during the various meetings in the jungle. While the negotiations continued, Shri Yangsei contacted individual members of the gang, persuading them to surrender.

Throughout, Shri Yangsei played a very significant role and displayed an exemplary sense of patriotism, tenacity of purpose as well as courage of a high order.

24. G/99731 Pioneer VALIYAKALAYIL KESAVAN RAJAPPAN GREF

(*Effective date of the award*—3*rd July*, 1975)

On the 3rd July, 1975, due to heavy rain, the National Highway to Sikkim, was blocked by a massive land slide. To restore the line of communication, a dozer was deployed to clear the slide. When the clearing work was in progress, the slide became active and the debris started rolling down. The dozer and the operator were trapped in the slide, which practically burried them. Pioneer Valiyakalayil Kesavan Rajappan though not a regular dozer operator, immediately took charge of another dozer which was located nearby. He started the dozer and rushed to the spot where his fellow operator was trapped with his dozer. He skilfully manoeuvered his machine and reached the spot with utter disregard to his own life. He rescued the operator and recovered the dozer.

In this action, Pioneer Valiyakalayil Kesavan Rajappan displayed exemplary courage, initiative and devotion to duty of a high order.

The 17th May 1976

No. 39-Pres/76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Indo-Tibetan Border Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Kul Prasad,
Head Constable No. 3764,
Indo-Tibetan Border Police.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

Shri Kul Prasad, Head Constable, while on patrol duty on the 2nd September, 1975, exhibited cool determination and presence of mind in an extremely hazardous, situation. He displayed outstanding leadership and courage in disregard of his personal safety.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd September, 1975.

K. BALACHANDRAN, Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)
RULES

New Delhi, the 29th May 1976

No. 12/6/76-CS-II.—The rules for a competitive examination to be held by the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing), in 1976 for the purpose of filling temporary vacancies in the following Services are published for general information :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service.—Grade III.

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade III.

(iii) AFHQ Stenographers' Service—Grade III.

(iv) Posts of Stenographer in the Central Vigilance Commission.

A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services mentioned above. He may specify in his application as many of these Services as he may wish to be considered for.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preference for the Services originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing) on or before 31-3-1977.

2. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservations, will be made for candidates who are Ex-Servicemen and for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Ex-Serviceman means a person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation—For the purposes of these Rules "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces, namely :—

(a) Assam Rifles;
(b) Lok Sahayak Sena;
(c) General Reserve Engineer Force;
(d) Jammu and Kashmir Militia;
(e) Defence Security Corps; and
(f) Territorial Army.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Sikkim, or
(c) a subject of Nepal, or
(d) a subeict of Bhutan, or
(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Bangladesh, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948 and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution of India.
(ii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January 1950 will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. A candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall not be permitted to compete more than twice at the examination. This restriction shall be effective from the examination held in 1972.

Note 1.—If it is found at any time before or after the publication of the results of the examination that the candidate had already appeared in the examination twice and was thus ineligible to sit in the examination, his result will be withheld or cancelled, as the case may be, and further action taken as per rule 15.

Note 2.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once, for all the Services/Posts covered by the examination, if he competes for any one or more of Service/Posts.

Note 3.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more papers.

6. (A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January, 1976, i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1951 and not later than 1st January, 1958.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including language Stenographers/ Clerks/Steno-typist/ Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission or in the Central Vigilance Commission, and the Rajya Sabha/ Lok Sabha Secretariat and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including language Stenographer)/Clerk/Steno-typist/Hindi Clerk/Hindi Typist on 1st January, 1976 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers, on the basis of earlier examinations, held by the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) or the Union Public Service Commission.

Note.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in subordinate offices of P. & T. Department shall be treated as service rendered in the grade of clerk for purpose of this Rule.

(C) The upper age limit will be relaxable in the case of Ex-Servicemen who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for the vacancies reserved for Ex-Servicemen only.

NOTE.—The period of "call up service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated a service rendered in the Armed Forces for purpose of Rule 6 (C) above.

(D) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (former East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March 1971;

(iv) up to a maximum of three years, if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964,

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriat of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriat of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(ix) up to maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of 3 years, if a candidate was a resident of the territories which immediately before 20th day of December, 1961 were comprised in Goa, Daman and Diu.

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE CAN IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(B) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from Service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

N.B.—(ii) A Stenographer (including language Stenographer/Clerk/Stenotypist/Hindi Clerk/Hindi Typist) who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred, will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. Candidates must have passed one of the following examinations or must possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation examination of any University incorported by an Act of the Central or State Legislature of India;

(ii) An examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Government;

(v) Tenth Class certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(vi) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vii) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India, at the end of the penultimate year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(viii) Tenth Class Certificate from a recognised school preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(ix) Junior Examination of the Jamia Millia Islamia Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate:

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) the following French Examination of Pondicherry;

(i) Brevet Elementaire' (ii) Brevet d'Ensiegnement Primaire de Language Indienne' (iii) Brevet d'etudes du Premier Cycle (iv) 'Brevet d'Enseignement Primaire Superieur de Language Indienne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular)';

(xiii) Indian Army Special Certificate of Education;

(xiv) Higher Educational test of the Indian Navy;

(xv) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xvi) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xvii) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xviii) Secondary School Certificates granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna/Jessore in Bangladesh;

(xix) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xx) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxi) Burma High School Final Examination Certificate with eligibility for university Course;

(xxii) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-war);

(xxiii) Post War School leaving certificate of Burma;

(xxiv) The "Vinit" examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xxv) Pass in the 5th Year of 'Lyceum' a Portguese qualification in Goa, Daman & Diu;

(xxvi) General Certificate of Education (ordinary level) Examination, Ceylon (Sri Lanka), provided it is passed in at least five subjects;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Board, London at Ordinary Level provided it is passed in five subjects including English;

(xxviii) The Junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Boards of Technical Education;

(xxix) Purva Madhyama (with English) or Old Khand Madhyama (first two years course) and special Examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi;

(xxx) Carta de Curso de Formacao de Serralheiro (Certificate in Smithy course) and Carta de Curso de Montador Electricista (Certificate in Electrician course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa Panaji under the Portuguese set up prior to Liberation of Goa, Daman and Diu;

(xxxi) Rashtriya Indian Military College Diploma Examination;

(xxxii) 'Madhyama' examination conducted by the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi;

(xxxiii) IAF Educational Test for promotion to the rank of Corporal conducted by the Directorate of Education, Air Headquarters, New Delhi;

(xxxiv) Qualifying Science Examination, conducted by the Delhi University;

(xxxv) Malaysian Certificate of Education Examination of the University of Cambridge Local Examination Syndicate conducted in Collaboration with the Ministry of Education Malayasia;

(xxxvi) Higher Secondary (Core Subjects) Examination of Punjab University;

(xxxvii) Passing out (Indian Navy) Examination conducted by Boys Training Establishment, Vishakhapatnam;

(xxxviii) Anglo-Indian High School Examination (Standard xi) conducted by the Inspector of Anglo Indian schools, Madras;

(xxxix) Indian Certificate of Secondary Education Examination (Class X Examination) conducted by the Council for the Indian School Certificate Examination, provided it is passed in five subjects which should include Mathematics, Science and at least two languages. The fifth subject could be any of the remaining subjects in Group I (Indian History and Culture, Civics and Geography) or any of the subjects in Group II (Art, Woodwork, or Metal Work with technical Drawing, Elements of Home Science, Elements of Accounts and Shorthand and Typewriting with office practice);

(xl) National Form IV Examination conducted by the Examination Council of the Government of Tanzania.

(xli) Jamia Higher Secondary Examination conducted by Jamia Milia Islamia, Delhi;

(xlii) A pass in the Curso Quinquenel de Mecanico offered by Escola Professional de Don Bosco, Valpoi (Goa);

(xliii) A pass in the Penultimate year Examination from a Higher Secondary and Multipurpose School in India; and

(xliv) Navin Uttar Madhyama (with English) of Kameshwar Singh Darbhanga, Sanskrit University, Darbhanga.

NOTE.—In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of that Government, justifies his admission to the examination.

8. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to Service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. A candidate already in Government service whether in a permanent or a temporary capacity must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex-Defence Service personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

11. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

13. Candidates except Ex-Servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee *vide* para 8 (iv) of the Institute's Notice, must pay the fee prescribed in paragraph 8(i) of the Institute's Notice.

In the case of Ex-Servicemen fee concession is admissible to them only if they satisfy other conditions of eligibility as an Ex-Serviceman.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impresonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect and false, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Institute, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

16. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute, in a list, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order, so many candidates as are found by the Institute, to be qualified by the examination shall be recommended for appointment to Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers Service and to posts of Stenographer of Central Vigilance Commission up to the number of unreserved vacancies in the respective Service decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the respective Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Ex-Servicemen who are considered by the Institute to be suitable for appointment on the results of the examination shall be eligible to be appointed against the vacancies reserved for them irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided that Ex-Servicemen belonging to any of the Schedule Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for Ex-Servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the respective Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various Services at the time of his application (cf. Col. 13 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in their discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success at the examination shall confer no right to appointment to the Stenographers' Grade III of the Service unless the Central Government is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Service.

20. Brief particular relating to the Services to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II

K. B. NAIR,
Under Secretary

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time Allowed	Maximum Marks
(i) General English	1½ hours	50
(ii) Essay	1½ hours	50
(iii) General Knowledge	3 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST)

300 Marks

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers (ii) Essay, and (iii) General Knowledge, either in Hindi or in English and the medium opted (i.e. Hindi or English) should be the same for both the papers mentioned above. Candidates who opt to answer both these papers in Hindi will be required to take the shorthand tests also in Hindi and those who opt to take them in English will be required to take the shorthand tests also in English. Paper (i) General English must be answered by all the candidates in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer papers (ii) Essay and (iii) General Knowledge, of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagri), should indicate their intention to do so in Col. 8 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Tests in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall ordinarily be entertained.

NOTE 2.—Candidates who opt to take the Shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice-versa*, after their appointment.

NOTE 3.—A CANDIDATE WISHING TO TAKE THE EXAMINATION AT AN INDIAN MISSION ABROAD, AND EXERCISING THE OPTION TO ANSWER PAPERS (ii) ESSAY AND (iii) GENERAL KNOWLEDGE AND TAKE THE STENOGRAPHY TESTS IN HINDI IN TERMS OF PARA 3 ABOVE, MAY BE REQUIRED TO APPEAR AT HIS OWN EXPENSE, FOR THE STENOGRAPHY TESTS AT ANY INDIAN MISSION ABROAD WHERE NECESSARY ARRANGEMENTS FOR HOLDING SUCH TESTS ARE AVAILABLE.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 100 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 80 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hands. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

6. The Institute have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Institute in their discretion will be called for shorthand test.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART A

Standard and Syllabus of the Written Test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The paper will be designed to test the candidates knowledge of English Grammer and Composition and generally their power to understand and ability to write, correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include question on precis writing; drafting; correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge.—Some knowledge of the constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and Economic Geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the question and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests one at 100 words per minute for seven minutes and another at 80 words per minute for 10 minutes, which the candidates will be required to transcribe in 50 and 65 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 100 words per minute for seven minutes and another at 80 words per minute for 10 minutes, which the candidates will be required to transcribe in 60 and 75 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to Services to which recruitment is being made through this examination.

A. *The Central Secretariat Stenograpers' Service.*—

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade: Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Provided that persons appointed by promotion from Grade I will get a minimum pay of Rs. 775/-.

Grade I : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Provided that persons appointed by promotion from Grade II will get a maximum pay of Rs. 710/-.

Grade II : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade III : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(2) Persons recruited to Grade III of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or, if his work or conduct, in the opinion of Government, has been unsatisfactory, he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Persons, recruited to Grade III of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Persons recruited to Grade III of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in course from time to time in the behalf.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*—

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Provided that persons appointed by promotion from Grade I will get a minimum pay of Rs. 775/-.

Grade I : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Provided that persons appointed by promotion from Grade II will get a minimum pay of Rs. 710/-.

Grade II : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade III : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(ii) Persons recruited to Grade III of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory, he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of Service, staff included in the Railway Board's Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railways Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service*—

The Armed Forces Headquarters Stenographers' Service has, at present, four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Provided that persons appointed by promotion from Grade I will get a minimum pay of Rs. 775/-.

Grade I : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Provided that persons appointed by promotion from Grade II will get a minimum pay of Rs. 775/-.

Grade II : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade III: Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

2. Persons recruited to Grade III of the Service will be on probation for a period of two years. During this period, they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. Unsatisfactory record of service during probationary period may result in discharge of the probationers from Service or their period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

3. Persons recruited to Grade III of the Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi/New Delhi, where offices of the AFHQ/IS Organisations may be located.

4. Persons recruited to Grade III of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

5. Leave, Medical aid and other conditions of Service are same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

D. *Central Vigilance Commission*—

There are the following grades in the Stenographers' Service in the Central Vigilance Commission :—

Senior P.A.—Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

P.A.—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Stenographer—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

2. Persons recruited to the posts of Stenographers will be on probation for a period of two years. During this period, they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. Unsatisfactory record of service during probationary period may result in discharge of the probationer from Service or their period of probation may be extended for such further period as the Central Vigilance Commission may think fit.

3. Persons recruited to the posts of Stenographer will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

4. The posts of Stenographers in the Central Vigilance Commission are not included in the C.S.S.S. but they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976